प्रेषक,

संख्या: 1001 / 79-6-2012-1(6) / 2006टीसी

इन्द्र राज सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0लखनऊ

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 19, सितम्बर,2012

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में वित्तीय स्वीकृतियों की द्वितीय किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-म0भो0प्रा0 / 2053 / 2012-13 दिनांक 28-08-2012 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना के सफल संचालन, प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद हेतु रू0 700.00 लाख (रूपया सात करोड़ मात्र) केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखी जाएगी। निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के द्वारा उक्त धनराशि को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा ।

(1) धनराशि का व्यय योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर किया जायेगा ।

(2) उक्त धनराशि का अलग से खाता रखा जायेगा ।

(3) उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना / उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

(4) इस अनुदान से अर्जित सम्पत्तियों की पंजिका नियमानुसार तैयार की जाएगी ।

(5) धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा ।

(6) भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा

आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0102–खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के100/रा0के0)–20–सहायक अनुदान/सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–1005/दस–2012 दिनांक 19–09–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द राज सिंह)
अनु सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– श्रम आयुक्त कानपुर ।
3– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,लखनऊ।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रट लखनऊ
5– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
6– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
7– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्द राज सिंह)
अनु सचिव ।

budget..RP